भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

271

नीले पु० - 2037 / 15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–बिदिशा निगरानी 2037-I-15

गोविन्द सिंह मृत द्वारा वारिसान
1– प्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह
2– सजन सिंह पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह
3– गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह
4– जसवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री मोहर सिंह
5– बलराम सिंह पुत्र स्व. श्री मोहर सिंह
6– रामपाल सिंह पुत्र स्व. श्री मोहर सिंह
7– राम सिंह पुत्र स्व. श्री हुकम सिंह
8– महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हुकम सिंह
निवासीगण – ग्राम बिलवाय तहसील गंजबासौदा, जिला–बिदिशा (म.प्र.)

...... **आवेदकगण**

दि. 3.7.15 को श्री ... अभि. द्वारा प्रस्तुत
03.7.15

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला **बिदिशा**
2. घनश्याम सिंह पुत्र स्व. श्री हुकम सिंह
3. जगन्नाथ सिंह पुत्र स्व. श्री हुकम सिंह
4. श्रीमती उम्मेदी बाई विधवा स्व. श्री **मोहर सिंह**
5. बाबूलाल पुत्र श्री निर्भय सिंह

निवासीगण – ग्राम बिलवाय **तहसील** गंजबासौदा, जिला–बिदिशा (म.प्र

...... **अनावेदकगण**

8
Chaturvedi
03/7/15

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला बिदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर **सविनय** प्रस्तुत, है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यहकि, ग्राम बिलवाय तहसील गंजबासौदा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 101 **रकवा** 8. 226 है0, सर्वे क्रमांक 118 रकवा 1.662 है0, सर्वे क्रमांक 218 रकवा 0.227 है0, सर्वे क्रमांक 229 रकवा 3.662 है0, जिनके साविक नं. 207/1, 207/3, 250/2 एवं 256 है। उक्त भूमि हुकम सिंह एवं मोहर सिंह के नाम सम्बत् 2006 अर्थात् 1949 से भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। और वह अपने जीवनकाल में **उक्त** भूमि पर फसले लेते आ रहे है। गोविन्द सिंह की मृत्यु होने के पश्चात् उनके **वारिसान** उक्त भूमि फसल लाभ लेते रहे है। पर्वत सिंह पुत्र सूरज सिंह निवासी **बनवासा**

3

XXIX(a)-BR(H)-11

(271)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2037-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक27-3-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	